न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–09/2017–18

घनश्याम यादव

बनाम

राज्य (अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया।)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
29.5.2018	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह आपूर्ति अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा C.W.J.C N0-18723/2017 में दिनांक 20.02.2018 को पारित आदेश के आलोक में धनश्याम यादव, साकिन–पूर्वी ठाठा, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया की ओर से दायर किया गया है। अपीलार्थी अनुज्ञप्ति संख्या–39एम/2007 के आधार पर एक जन वितरण प्रणाली के दुकान चलाते है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान अनुमंउल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा इस दुकान का औचक निरीक्षण दिनांक 25.07.2017 को किया गया, जिसमें निम्माकित विसंगतिया पाई गई– (1) व्यपार केन्द्र के गोदाम में 24.50 बोरा चावल एंव 14 बोरा गेहूँ पाया गया। (2) स्टॉक पंजी एवं भौतिक सत्यापन में असमानता पाया गया। (3)अन्त्योदय योजना के अर्न्तगत दिनांक 14.06.2017 तक खाद्यान्न का अवशेष शून्य पाया गया। इस आरोप के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया ने अपने पत्रांक 254/अनु0आ0 दिनांक 29.07.2017 द्वारा अनुज्ञप्तिधारी धनश्याम यादव से स्पष्टीकरण की मांग की जिसे देखते हुए इन्होने पीएचएच योजना अर्न्तगत गेहूँ 19.20 क्वीटल एवं चावल 28.80 क्वीटल चावल स्टॉक पंजी में अंकित मात्रा ही गोदाम में उपलब्ध था जबकि अंत्योदय योजना अर्न्तगत दिनांक 14.06.2017 तक खाद्याान्न का अवशेष शून्य पाये जाने के संबंध में दिनांक 01.06.2017 को अन्त्योदय खाद्यान्न का उठाव किया गया तथा दिनांक 13.06.2017 तक वितरण कुल 235 काडधारियों को किया गया है,वितरण पंजी पर जनप्रतिनिधियों यथा वार्ड सदस्य, मुखिया के समक्ष खाद्यान्न का वितरण किया गया है, जिसकी छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। इसके उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अपीलार्थी के प्रथम स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद दर्शाते हुए अपने ज्ञापांक 370, दिनांक 10.10.2017 से एक दूसरा स्पष्टीकरण भी पूछा गया, जिसके आलोक में एक दफा पुनः अनुज्ञप्तिधारी की ओर से यह जबाब दाखिल किया गया कि जहाँ तक अन्त्योदय योजना अन्तर्गत दिनांक 14.06.2017 तक खाद्यान्न का अवशेष शून्य पाया। पीएचएच योजना का खाद्यान्न का उठाव दिनांक 01.06.2017 को किया गया तथा दिनांक 13.06.2017 तक अन्त्योदय योजना के कार्डधारियों के बीच वितरण कर दिये जाने के कारण दिनांक 14.06.2017 को अवशेष शून्य पाया गया। अंततः अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया ने अपने ज्ञापांक 393, दिनांक 04.11.2017 द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।	

क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख— 3.

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्रासंगिक जन वितरण प्रणाली की दुकान का निरीक्षण किसी शिकायत के आधार पर नहीं अपितु औचक रूप से किया गया था। इस दौरान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सारे कागजात एवं पंजियों को जांचकर्त्ता के समक्ष रखा गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि केन्द्र के गोदाम में 24.50 बोरा चावल एवं 14 बोरा गेहूँ पाया जाना प्रमाणित करता है कि उनकी मंशा कालाबाजारी की नहीं थी।

उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अपीलार्थी की ओर से दाखिल किए गए स्पष्टीकरण एवं उसके साथ संलग्न साक्ष्यों पर सूक्ष्मतापूर्वक से विचार नहीं किया गया जबकि वैधानिक दृष्टिकोण से अपेक्षित था। ऐसे भी किसी आरोप के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से रखे गए पक्ष का तार्किक विश्लेषण करते हुए ही किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचना चाहिए। यानि अनुमंडल पदाधिकारी अपीलार्थी के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे तब भी उन्हें अपने अंतिम आदेश में उन तथ्यों का भी बखूबी उल्लेख करना चाहिए था कि आखिर अनुज्ञप्तिधारी की ओर से दिया गया जबाव क्यों स्वीकार योग्य नहीं है। अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यानि पक्ष रखने के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के स्तर से यदि इस प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि विश्लेषणोपरांत कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में अपीलार्थी से निश्चित तौर पर पृच्छा की जाती, जिससे उन्हें (अनुज्ञप्तिधारी) अपना पक्ष रखने हेतु एक अवसर प्राप्त होता। इस तरह अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अपीलार्थी की ओर से रखे गए पक्ष को अस्वीकृत करने के दौरान उसके कारणों का उल्लेख नहीं करना मेरे दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में नैसर्गिक न्याय को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा ज्ञापांक 393, दिनांक 04.11.2017 से पारित आदेश को विखंडित करते हुए जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति संख्या–39(M)/2007 को पुनर्बहाल किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

29/5/18

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

29/5/18

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

डी0 बी0 नं0 438 / विधि, दिनांक 24/7/2018

प्रतिलिपिः—अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के बेवसाईड पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।

Nie
437, 438, 439